राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2013-14

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु **राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0** की दिनांक 8–12–2010 को स्थापना की गयी थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का **रजिस्ट्रेशन** दिनांक **08.12.2010** को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक **27.12.2010** को निगम द्वारा **व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र** प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड़ रूपये है। 50 करोड़ रूपये के अंशों में से 49.93 करोड़ रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशको के नाम हैं।

3. निगम का संचालक मण्डल

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
4. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग
5. शासन सचिव, वित्त बजट विभाग
6. रजिस्टार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान
7. प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, राजस्थान.

4. निगम के विगत तीन वर्षों के वित्तीय परिणाम

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
1	व्यापार वृत (Turn over)	0.012	16.67	38.43
2	लाभ/हानि (Profit/Loss)	(–) 0.84	9.25	8.61

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य, तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथं ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.ड़ी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक **24.11.201**0 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए **पदों** एवं सेवाओं के सृजन की **स्वीकृति** जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रसं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	निगम कार्यालय	59	41	18	कार्मिक सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से – 19 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से – 22
2	जिला कार्यालय	272	188	84	निगम में मैनेजर मद के स्थायी भर्ती के पद – 34 (इनमें से 4 पद रिक्त एवं 30 कार्यरत है) प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिक सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से – 158
3	तहसील स्तर	488	65	423	रेक्सको के माध्यम से जेसीओ/गार्ड के पद – 65
	कुल योग	**819**	**294**	**525**	

इसके अतिरिक्त निगम मुख्यालय पर 29 सेवानिवृत कार्मिक कार्यरत है तथा एक कनिष्ठ लिपिक, दो जेसीओ/ तीन सुरक्षा गार्ड Rexco से कार्यरत है।

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नहीं होने के कारण समस्त जिलो में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि. के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है । खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पूर्व में राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल अन्तोदय एवं अन्नपूर्णा परिवारों को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन खाद्य विभाग के द्वारा एवं वितरण का कार्य निगम के माध्यम से करवाया जा रहा था। वर्तमान में राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हो जाने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत चयनित परिवारों को 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति 2 रू. प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं एसबीपीएल परिवारों को न्यूनतम 25 किलो गेहूँ एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह 1 रू. प्रति किलो की दर से आपूर्ति किया जा रहा है। गेहूँ का लाभार्थियों को वितरण खाद्य विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के द्वारा किया जा रहा है।

8.2 राज्य में निगम द्वारा मार्च, 2011 से सितम्बर, 2013 तक फोर्टिफाइड आटे की आपूर्ति किये गये बैग्स (10 kg) का विवरण

क्र.सं.	अवधि	बैग्स आपूर्ति (प्रति माह)	कुल माह	आपूर्ति किये गये बैग्स की कुल संख्या (प्रति 10 किग्रा)
1	मार्च 2011 से मार्च 2012	20 लाख	7	4.40 करोड
		50 लाख	6	
2	अप्रैल 2012 से मार्च, 2013	60 लाख	12	7.20 करोड
3	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013	70 लाख	6	4.20 करोड़
योग				**15.80 करोड**

8.3 पीडीएस के अन्तर्गत चीनी वितरण

- केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये है। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन का आवंटन प्राप्त होता है। वर्ष में एक बार त्यौहार आवंटन 5092 मै. टन अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।
- दिनांक 01.06.2013 से लागू परिवर्तित प्रणाली में केन्द्र सरकार द्वारा 18.50 रूप्ये प्रति किलो की दर से एक मुश्त अनुदान दिया जाता है । राज्य में 01.04.2013 से पूर्व चीनी का विक्रय मूल्य रूपये 13.50 प्रति किलो निर्धारित था। राज्य में 01.04.2013 से 10.00 रूपये प्रति किलो की दर से बीपीएल परिवारों को चीनी उपलब्ध करवायी जा रही है। इस प्रकार 18.50+10.00=28.50 रूपये प्रति किलो से अधिक लागत होने पर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है जिसका वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय भार 50 करोड़ रूपये वार्षिक है। उक्त में से 30 करोड़ रूपये का अनुदान राज्य सरकार से निगम को प्राप्त हो चुका है।
- चीनी की आपूर्ति खुले बाजार से क्रय करने हेतु निगम द्वारा दिनांक 10.06.2013 को ई–टेण्डर जारी किये गये एवं सफल निविदादाता (एल–1) श्री गणेश खाण्ड उद्योग मण्डली सहकारी मिल लि. वटारिया (गुजरात) से 3 माह की आपूर्ति हेतु दिनांक 30.07.2013 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया।
- चीनी की दरें निम्नप्रकार प्राप्त हुईः–

क्र.सं	संभाग	मात्रा (क्विं में)	दर प्रति	कुल मूल
1	उदयपुर एवं जोधपुर	101022	3345.13	33.79 करोड़
2.	अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर एवं बीकानेर	119238	3398.63	40.52 करोड़

- चीनी का वितरण 10 रूपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से उक्तानुसार प्राप्त राशि का विभाजन निम्नप्रकार हैः–

क्र.सं.	संस्था	विवरण	राशि (प्रति किलो) रू.
1	क्रय विक्रय सहकारी समिति	कमीशन	0.11
2	उचित मूल्य दुकानदार	कमीशन व परिवहन	0.19 (0.12+0.7)
3	आपूर्ति निगम का कमीशन	कमीशन	0.18

गैर पी.ड़ी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत निम्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई । राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय

एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए तथा अगस्त 2011 से निगम की ब्राण्ड अन्तर्गत (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में कपडे धोने का साबुन, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया), दालें (चना एवं मूंग) फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल (तिल्ली, सरसों एवं मूंगफली) आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए। गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वर्षवार उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराने का विवरण निम्न प्रकार है :–

Non-PDS Item Tea & Iodized Salt at a glance for the Year 2011-12

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2011-12	4,058,320.00	140.00
2	Iodized Washed Salt	2011-12	5,206,700.00	5.00
3	Iodized Free Flow Salt	2011-12	2,110,000.00	6.00

Non-PDS Item Tea, Spices, Washing Soap, Iodized Salt, Pulses etc. at a glance for the Year 2012-13

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2012-13 from April to December	1,817,900.00	140.00
		2012-13 from Janary to March	679,275.00	160.00
2	**Spices**			
	Chilly Powder	2012-13	4,440.00	135.00
	Turmeric Powder	2012-13	4,200.00	135.00
	Coriander Powder	2012-13	4,110.00	110.00
3	**Washing Soap**	2012-13	1,126,120.00	40.00
4	**Iodized Free Flow Salt**	2012-13	10,252,450.00	6.00
5	**Moong Chhilka Dal**	2012-13	305,609.00	71.00

Non-PDS Item Tea, Spices, Washing Soap, Iodized Salt, Pulses etc. at a glance for the Year 2013-14

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2013-14	1,685,950.00	160.00
2	**Spices**			
	Chilly Powder	2013-14	484,716.00	135.00
	Turmeric Powder	2013-14	452,970.00	135.00
	Coriander Powder	2013-14	396,865.00	110.00
3	**Washing Soap**	2013-14	677,670.00	40.00
4	**Iodized Free Flow Salt**	2013-14	3,876,750.00	6.00
5	**Moong Chhilka Dal**	2013-14	369,184.00	71.00

- इसके अतिरिक्त नॉन पीडीएस सामग्री के तहत नहाने का साबुन, वाशिंग पाउडर एवं डिटरजेन्ट केक, चने की दाल एवं सोया खाद्य तेल हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- निगम के द्वारा विपणन की जाने वाली गैर पीडीएस वस्तुओं को – ''राज'' नामक ब्राण्ड़ दिया गया है। इसके लिये अलग **''लोगो''** तथा पैकिंग डिजाईन की गई है।
- निगम ने प्रत्येक वस्तु की एम.आर.पी. निम्न प्रकार निर्धारित की हैः–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विक्रय मूल्य (MRP)	विशेष विवरण
1.	चाय	160/– रु. प्र. किलो	**250 ग्राम के पैकेट का मूल्य 40/– रु.**
2.	लाल मिर्च पाउडर	135/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 27/– रु.
3.	हल्दी पाउडर	135/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 27/–रु.
4.	धनिया पाउडर	110/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 22/–रु.
5.	नमक	6/– रु. प्र. किलो	–
6.	कपडे धोने का साबुन	40/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम टिकिया के 8/–रु.
7.	हरी मूँग दाल	73/– रु. प्र. किलो	(एक कि.ग्रा. के 73/– रु.)

- निगम के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा सामग्री का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जा रहा है।
- निगम के द्वारा चयनित/प्राधिकृत फर्मो/कंपनियों द्वारा विपणन किए जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सी एण्ड एफ के द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को करवाई जा रही है। उचित मूल्य दुकानदार इन सी. एण्ड एफ. से निर्धारित एम.आर.पी. में से अपनी कमीशन राशि घटाकर निर्धारित दर पर सामग्री प्राप्त करते हैं व एम.आर.पी. दर पर क्षेत्र के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार वितरण करते हैं। इस हेतु राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं की उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप आपूर्ति की जा रही है।
- गैर पी.डी.एस. सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वस्तुओं के सैम्पल राष्ट्रीय अनुमोदित प्रयोगशालाओं (NABL) से परीक्षण करवाने के बाद ही आपूर्तिकर्ता फर्म से उत्पाद आपूर्ति दी जाती है।
- गैर–पीडीएस सामग्री चाय एवं मसालों (हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर) पर निगम के हॉलोग्राम (hologram) पैकेटों पर लगाए जाते है।

9. अन्य योजनाएं

(1) सहरिया परिवार :– बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के क्रम में बारां जिले के 22773 सहरिया परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रति माह, प्रति परिवार 2 किलो हरी मूंग दाल, 2 लीटर सोया खाद्य तेल एवं 1 लीटर देशी घी का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक निम्नानुसार खाद्य सामग्रियो का वितरण किया गया है :–

हरी मूंग दाल	5,81,698 किलो	निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म के माध्यम से
सोया खाद्य तेल	5,81,698 लीटर	तिलम संघ कोटा के माध्यम से
देशी घी	2,91,119 लीटर	कोटा डेयरी के माध्यम से

(2) कथौडी परिवार :– राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में उदयपुर जिले के 1106 कथौडी परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए माह जुलाई 2013 से प्रति माह, प्रति परिवार, 2 किलो हरी मूंग दाल, 2 लीटर सोया खाद्य तेल एवं 1 लीटर देशी घी का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक निम्नानुसार खाद्य सामग्रियो का वितरण किया गया है :–

हरी मूंग दाल	13,272 किलो	निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म के माध्यम से
सोया खाद्य तेल	13,272 लीटर	तिलम संघ के माध्यम से
देशी घी	6,636 लीटर	उदयपुर डेयरी के माध्यम से

10. खाद्यान्न परिवहन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगम ने वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें आमंत्रित की थी। 10 जिलों हेतु निविदायें प्राप्त हुई थी जिनमें से 8 जिलों में परिवहनकर्ताओं को नियुक्त किया गया। बीकानेर, धौलपुर एवं उदयपुर में माह सितम्बर 2011 से तथा बांसवाड़ा एवं जयपुर में परिवहन कार्य माह दिसम्बर, 2011 से प्रारंभ किया गया। करौली, अलवर एवं कोटा जिले के परिवहनकर्ताओं से जिला रसद अधिकारियों ने परिवहन कार्य नहीं करवाया। **वर्तमान में केवल धौलपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में ही परिवहनकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत दरों पर खाद्यान्न परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है।**

वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत परिवहन दरें निम्न प्रकार हैं:–

क.सं.	विवरण	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	प्रथम 5 कि.मी. तक	रू. 10.73 प्रति क्विं.	रू. 12.66 प्रति क्विं.
2	5 कि.मी.से 15 कि.मी. तक	रू. 6.57 प्रति क्विं.	रू. 7.75 प्रति क्विं.
3	15 कि.मी. से 100 कि.मी. तक	रू. 0.21 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.	रू. 0.25 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.
4	100 कि.मी. से अधिक	रू. 0.16 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.	रू. 0.19 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.

11. उत्तराखण्ड आपदा सहायता

उत्तराखण्ड राज्य में बादल फटने से उत्पन्न अतिवृष्टि के कारण उत्तराखण्ड राज्य को सहायता प्रदान करने बाबत् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के प्रमुख शासन सचिवगण की दिनांक 19.06.2013 को आयोजित मीटिंग में लिए गए

निर्णयानुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 13 ( ) खा.वि./ आंवटन/2013 दिनांक 19.06.2013 के माध्यम से प्राप्त निर्देश की पालना में उत्तराखण्ड राज्य को निगम द्वारा राशि रूपए 1.89 करोड की खाद्य सामग्री आपूर्ति की गई है।

12. विकेन्द्रीकृत उपापन योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 में प्रायोगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिले में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 28.03.2013 को सम्पन्न अनुबन्ध के तहत राजस्थान सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा **''राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर''** को आवंटित किया गया। इस वृहद कार्य के लिए निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु एजेन्सी, गेहूँ खरीद तथा राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को भंडारण एजेन्सी नियुक्त किया गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु 35 क्रय केन्द्रों की स्थापना की गई। इन क्रय केन्द्रों पर दिनांक 10.04.2013 से 15.06.2013 की अवधि में 54,936.9 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद सम्पन्न हुई।

13.1 किसानों का पंजीयन

अलवर जिलें में किसानों द्वारा क्षेत्र में की गई बुवाई तथा संभावित बुवाई क्षेत्र में गेहूँ के उत्पादन का आंकलन करने किसानों का पंजीयन करने का निर्णय लिया गया। निगम द्वारा 4.00 लाख किसान पंजीयन फार्म छपवाये गये। किसानों को तुरन्त ऑन–लाईन उनकी उपज का भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजक्ट तैयार करने बाबत निगम द्वारा एन.आई.सी. का सहयोग लिया गया। इस निमित NIC को निगम द्वारा 22.44 लाख का भुगतान किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद की किसानों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत जिलें में 472 ग्राम पंचायतों को रूपये 2000/– प्रति ग्राम पंचायत की दर से राशि रूपये 9,44,000/– जिला कलेक्टर, अलवर की अभिशंषा पर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त 150 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाऐं भी किसानों के पंजीयन तथा जिले के 35 खरीद केन्द्रों पर ली गई।

13.2 वित्तीय सहायता

किसानों से गेहूँ खरीद हेतु समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप धोषित बोनस रूपये 150/– प्रति क्वि. की दर से तथा खरीद पर व्यय किये जाने वाले आनुषांगिक प्रभार स्वरूप जैसे मंडी टैक्स, मंडी लेबर चार्जेज, परिवहन व्यय इत्यादि मद में व्यय होने वाली राशि के अतिरिक्त बारदाना क्रय हेतु शत प्रतिशत राशि निगम द्वारा "राजफैड" को अग्रिम रूप में उपलब्ध करायी गई।

13.3 भण्डारण व्यवस्था

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (भण्डारण एजेंन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भंडार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर रूपये 2.92 प्रति 50 किलोग्राम (5.84 प्रति क्विंटल) प्रतिमाह है। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

(मात्रा मै.टन में)

क्र.स.	आरक्षित गोदाम	भंडारण क्षमता	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
1.	अलवर (डाइमेन्सन) एम. आई. ए.	80,000	27,985.95
2.	अलवर	20,000	21,639.55
3.	भरतपुर	2,800	850.10
4.	बयाना	1,500	–
5.	नदबई	2,900	3,025.65
6.	बांदीकुई	600	–
7.	लालसोट	1,000	–
8.	एम.एम. रोड़	300	335.80
9.	हिण्डौन सिटी	1,000	–
10.	खैरथल	1,100	1,099.85
	योग	**1,11,200**	**54,936.90**

13.4 भारत सरकार की गेहूँ निर्गमन दर रूपये 2.00 प्रति किलो की दर से डीसीपी योजना में उठाव किये गये गेहूँ तथा निगम के खाते में विभिन्न के.वी.एस.एस. द्वारा जमा करायी गयी राशि का विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को डी.सी.पी. योजनान्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ के उठाव पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्र क्रमांकः 1–8/2013–BP-III दिनांक 26.09.2013 के द्वारा रूपये 2.00 प्रति किलो की दर से गेहूँ निर्गमन दर निर्धारित की गई है। माह अक्टूबर तथा नवम्बर, 2013 में अलवर जिलें में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत जिले के पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु उठाव किये गये गेहूँ तथा निगम के खाते में जमा करायी गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	योजना	माह अक्टूबर, 2013		माह नवम्बर, 2013		गेहूँ का अन्तिम स्टॉक (मै. टन में)
		उठाव (मै. टन में)	जमा राशि (लाख में)	उठाव (मै. टन में)	जमा राशि (लाख में)	
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत	10675.000	213.50	10675.000	213.50	43126.900
2.	अन्त्योदय	1135.000	22.70	1135.000	22.70	31316.900
	योग	**11810.000**	**236.20**	**11810.000**	**236.20**	

नोटः–गेहूँ के अन्तिम स्टॉक में स्टोरेज गेन की मात्रा सम्मिलित नहीं की गई है।

13.5 भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की स्थिति

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांकः 16 (5) 2011–Py-1 दिनांक 28.03.2013 द्वारा राज्य सरकार के मध्य भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु राज्य में रबी विपणन वर्ष 2013–14 में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत कृषकों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने बाबत अनुबन्ध सम्पादित किया गया। उक्त अनुबन्ध के तहत राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर" को अलवर जिलें में डी.सी.पी. योजनान्तर्गत गेहूँ खरीदने हेतु "नोडल एजेन्सी" नियुक्त किया गया। अनुबन्ध के तहत अनुदान राशि का पुनर्भरण भारत सरकार से प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा गया।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रंमाकः 192 (2) 2013–FC A/cs दिनांक 08.05.2013 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013–14 के लिए गेहूँ की खरीद एवं उस पर किये जाने वाले खर्चों के पुनर्भरण के लिए "प्रोविजनल इकोनोमिक कास्ट" (PEC) की स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रोविजनल दरों पर निगम द्वारा भारत सरकार से माह अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं अन्त्योदय योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु किये जा रहे गेहूँ वितरण का 90% अग्रिम प्रथम तिमाही का अनुदान बिल संख्या–1 दिनांक 08.11.2013 राशि रूपये 47,24,31,415.00 (47.24 करोड़ रूपये) का प्रस्तुत किया गया, जिसका निगम को पुनर्भरण प्राप्त होना शेष है। इसी भांति द्वितीय तिमाही का अग्रिम बिल माह जनवरी, 2014 में प्रस्तुत किया जावेगा।

13.6 रबी विपणन वर्ष 2014–15 में डी.सी.पी. योजनान्तर्गत अलवर जिले का चयन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य दिनांक 28.03.2013 को संपादित अनुबन्ध के तहत "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर" को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के छः जिलों क्रमशः अलवर, बॉरा, बूंदी, कोटा, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2014–15 में डी.सी.पी. योजना के तहत गेहूँ की खरीद की जानी थी, परन्तु निगम के पास पर्याप्त संसाधन एवं स्टॉफ की उपलब्धता नहीं होने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 की भांति 2014–15 के लिए केवल अलवर जिलें में ही गेहूँ खरीद का निर्णय लिया गया। राज्य के अन्य जिलों में केन्द्रीय पूल के तहत गेहूँ खरीद का उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य निगम का है।